पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

प्रेस विज्ञप्ति

कर्नाटक सरकार के स्वशासी निकायों के लिए एनपीएस जागरूकता कार्यक्रम

गैर पंजीकृत राज्य स्वशासी निकायों को एनपीएस में शामिल करने हेतु पीएफआरडीए ने कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर 22 जनवरी 2016 को राज्य स्वशासी निकायों के लिए एनपीएस जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 86 राज्य स्वशासी निकायो के 135 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

बजट एवं संसाधन सचिव श्री अरविंद श्रीवास्तव ने गैर पंजीकृत स्वशासी निकायों के सभी कर्मचारियों से एनपीएस में शामिल होने की अपील की। पीएफआरडीए के मुख्य महाप्रबंधक श्री ए. जी. दास ने अपने मुख्य सम्बोधन में प्रतिभागियों को वृद्धावस्था आयु सुरक्षा की रूपरेखा और एनपीएस में शामिल होने के लाभ के बारे में बताया और साथ ही राज्य सरकार से राज्य स्वशासी निकायों/बोर्डो/निगमों/संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/राज्य सरकार के विभागों के अंतर्गत राज्य सहायता प्राप्त संस्थानों में एनपीएस के अधिक से अधिक कियान्वयन का अनुरोध किया।

पीएफआरडीए के अधिकारियो ने राज्य स्वशासी निकायों के लिए एनपीएस की मुख्य विशेषताओं और लाभ, एनपीएस में शामिल होने की प्रक्रिया और विवरण, एनपीएस संरचना का विवरण और एनपीएस के निवेश और निकास संबंधी दिशा निर्देशों से युक्त एनपीएस पर एक प्रस्तुति प्रदर्शित की।

वर्तमान में राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत 1.5 लाख से अधिक कर्मचारी एनपीएस में शामिल है और एनपीएस में रू. 3144 करोड़ का अंशदान किया है। राज्य सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों,

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, स्वशासी निकायों, बोर्ड और विश्वविद्यालयों के लिए 1 अप्रैल 2006 से एनपीएस को अपनाया है। 211 से अधिक अभिदाताओं के साथ राज्य के 10 स्वशासी निकाय एनपीएस के अंतर्गत पंजीकृत हैं और एनपीएस में लगभग 5 करोड़ का अंशदान किया है। कर्नाटक राज्य की कुल प्रबंधन के अधीन आस्ति (एसजी और एसएबी सहित) रू. 3,876.62 करोड़ है।

श्री ए. जी. दास, सीजीएम, पीएफआरडीए, राज्य स्वशासी निकायों के अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए।

****